



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229000
CG-DL-E-14082021-229000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3064]
No. 3064]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

का.आ. 3312(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2152 तारीख 03.06.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में NH2 के कि.मी. 937.5 से कि.मी.953.59 (औरंगाबाद) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/4-लेन/6-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16.06.2021 " को " दैनिक भास्कर" और " टाइम्स ऑफ इंडिया "दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में NH2 के कि.मी. 937.5 से कि.मी. 953.59 (औरंगाबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बरुन				
	गांव का नाम: बरुन				
1	1031	सरकारी	आवासीय	0.0081	गैरमजरुआ मालिक ()
2	1445	सरकारी	आवासीय	0.044	गैरमजरुआ मालिक ()
3	1451	निजी	आवासीय	0.004	मोहन प्रसाद गुप्ता, बजरंगी गुप्ता पिता शिव प्रसाद गुप्ता ()
4	1496	सरकारी	बांध	0.0272	गैरमजरुआ आम ()
5	1708	सरकारी	कृषि	0.04	गैरमजरुआ मालिक ()
6	1709	निजी	कृषि	0.04	अवधेश सिंह, राजेश सिंह पिता स्व0 रामलखन सिंह ()
7	1716	सरकारी	आवासीय	0.002	गैरमजरुआ मालिक ()
8	1717	सरकारी	आवासीय	0.008	गैरमजरुआ मालिक ()

9	1718	निजी	आवासीय	0.0296	कृष्ण सिंह पिता स्व० शिवचंद्र सिंह और कृष्ण सिंह, पप्पू सिंह पिता रामदहीन सिंह ()
10	1721	सरकारी	कृषि	0.0036	गैरमजरुआ मालिक ()
11	1811	निजी	कृषि	0.1055	(i) अरुण सिंह पिता वृजनंदन सिंह (ii) अवधेश सिंह, राजेश सिंह पिता स्व० रामलखन सिंह ()
गांव का नाम: भूपतपुर					
12	988	सरकारी	कृषि	0.0519	गैरमजरुआ मालिक ()
गांव का नाम: चंदौली					
13	1002	निजी	कृषि	0.0445	अंकित सिंह पिता मनोज सिंह (ii) जितेंद्र सिंह पिता स्व० शंभुशरण सिंह (iii) राजेंद्र महतो पिता स्व० ठाकुरबारी महतो (iv) धनेश्वर महतो ()
14	909	निजी	कृषि	0.0283	तपेश्वर सिंह पिता स्व० जगदीश सिंह ()
गांव का नाम: जानकोप					
15	1190	निजी	आवासीय	0.001	रामचरित सिंह, रामकृत सिंह पिता स्व० पूरन सिंह ()
16	1193	निजी	आवासीय	0.001	रामचरित सिंह, रामकृत सिंह पिता स्व० पूरन सिंह ()
17	1417	निजी	आवासीय	0.0198	जयमाला देवी पति हरेंद्र कुमार शर्मा (ii) रेखा देवी पति रामजी साव ()
18	1418	निजी	आवासीय	0.0081	जनकदेव मेहता, जनेश्वर मेहता पिता स्व० केवल मेहता ()

19	1470	निजी	आवासीय	0.0283	(i)सूरीठ कुमार सिंह पिता स्व. रामदेवी सिंह (ii) उदय कुमार पिता रामवृक्ष चौहान (iii) जितेंद्र पुत्र सूर्यदेव चौहान ()
गांव का नाम: खेमदा					
20	636	सरकारी	आवासीय	0.0174	गैरमजरुआ मालिक ()
21	640	सरकारी	आवासीय	0.001	गैरमजरुआ मालिक ()
22	649	निजी	आवासीय	0.001	मनीष कुमार पिता स्व० देवनंदन प्रसाद ()
23	652	निजी	आवासीय	0.0032	साहजादी खातून पति मो. कयामुद्दीन ()
24	652	निजी	आवासीय	0.0032	नगीना सिंह पिता स्व० नन्हक सिंह ()
25	652	निजी	आवासीय	0.0032	उदय कुमार सिंह पिता स्व० नारायण सिंह ()
26	652	निजी	आवासीय	0.0032	राम बिलास सिंह पिता स्व० नन्हक सिंह ()
27	654	निजी	आवासीय	0.0128	(i) शनिचरी कुंवर पति स्व० राम प्रवेश सिंह(ii) उदय कुमार सिंह पिता स्व० नारायण सिंह ()
28	655	निजी	आवासीय	0.0088	उदय कुमार सिंह पिता स्व० नारायण सिंह ()
29	689	निजी	आवासीय	0.0264	रणजीत कुमार सिंह, धर्मवीर सिंह, अमरजीत सिंह पिता बच्चू सिंह (ii) प्रदीप कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह राकेश कुमार सिंह पिता अशोक सिंह ()
30	826	निजी	आवासीय	0.089	बिजली विद्युत बोर्ड ()

31	867	निजी	आवासीय	0.012	उदय कुमार सिंह पिता स्व0 नारायण सिंह ()
गांव का नाम: पीरतम्पूर					
32	139	निजी	आवासीय	0.0075	(i) रामजनम कुमार पिता स्व0 राजकुमार राम (ii) सोनू कुमार पिता स्व0 गया राम (iii) देवनंदन राम पिता स्व0 राजकुमार राम ()
33	736	सरकारी	आवासीय	0.0408	गैरमजरुआ आम ()
गांव का नाम: सिंदुरिया					
34	252	निजी	आवासीय	0.0032	मथुरा सिंह पिता मुंगेश्वर सिंह ()
35	267	निजी	आवासीय	0.001	रमेश सिंह पिता प्रताप सिंह ()
36	280	निजी	आवासीय	0.0056	भोला प्रसाद गुप्ता पिता स्व0 रामजतन साव ()
37	282	निजी	कृषि	0.001	ब्यास सिंह पिता स्व0 पृथ्वीराज सिंह ()
			कुल	0.7352	

[फा. सं. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2021

S.O. 3312(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2152(E) dated 03 June 2021**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/ six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH2 on the stretch of land from Km. 937.5 to Km. 953.59 (Aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of BIHAR

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Bhaskar**” and “**Times of India**” both dated 16, June 2021, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH2 in the stretch of land from Km 937.5 to Km 953.59 (Aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of BIHAR

State: BIHAR		District: AURANGABAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Barun				
	Village: Barun				
1	1031	Government	Residential	0.0081	Gairmajrui Malik
2	1445	Government	Residential	0.044	Gairmajrui Malik
3	1451	Private	Residential	0.004	Mohan Prasad Gupta, Bajrangi Gupta s/o Shiv Prasad Gupta
4	1496	Government	Bandh	0.0272	Gairmajrui Aam
5	1708	Government	Agriculture	0.04	Gairmajrui Malik
6	1709	Private	Agriculture	0.04	Awadhesh Singh, Rajesh Singh s/o Lt. Ramlakhan Singh
7	1716	Government	Residential	0.002	Gairmajrui Malik
8	1717	Government	Residential	0.008	Gairmajrui Malik
9	1718	Private	Residential	0.0296	Krishan singh s/o Lt. Shivchandra Singh va Krishan Singh, Pappu Singh s/o Ramdahin Singh
10	1721	Government	Agriculture	0.0036	Gairmajrui Malik
11	1811	Private	Agriculture	0.1055	(i) Arun Singh s/o Briajnandan Singh (ii) Awadhesh Singh, Rajesh Singh s/o Lt. Ramlakhan singh
	Village: Bhupatpur				
12	988	Government	Agriculture	0.0519	Gairmajrui Malik
	Village: Chandauli				
13	1002	Private	Agriculture	0.0445	(i) Ankit Sing s/o Manoj Singh (ii) Jitendra Singh s/o Lt. Shambhusharan Singh (iii) Rajendra Mahto s/o Lt.

					Thakurbari Mahto (iv) Dhaneshar Mahto
14	909	Private	Agriculture	0.0283	Tapeshwar Singh s/o Lt/ Jagdish Singh
	Village: Jankop				
15	1190	Private	Residential	0.001	Ramcharitra Singh, Ramkrit singh s/o Lt0 Puran Singh
16	1193	Private	Residential	0.001	Ramcharitra Singh, Ramkrit singh s/o Lt. Puran Singh
17	1417	Private	Residential	0.0198	(i) Jaymala Devi w/o Harendra Kumar sharma (ii) Rekha Devi w/o Ramji Saw
18	1418	Private	Residential	0.0081	Jankdev Mehta, Janeshwar Mehta s/o Lt. Kewal Mehta
19	1470	Private	Residential	0.0283	(i) Surith Kumar Singh s/o Lt. Ramdeni Singh (ii) Uday kumar s/o Ramvriksh Chouhan (iii) Jitendra s/o Suryadev Chouhan
	Village: Khemda				
20	636	Government	Residential	0.0174	Gairmajrui Malik
21	640	Government	residential	0.001	Gairmajrui Malik
22	649	Private	Residential	0.001	Manish Kumar s/o Lt. Devnandan Prasad
23	652	Private	Residential	0.0032	Sahjadi khatun w/o md. qayamuddin
24	652	Private	Residential	0.0032	Nagina singh s/o Lt. Nanhaka singh
25	652	Private	Residential	0.0032	Uday Kumar singh s/o Lt. Narayan singh
26	652	Private	Residential	0.0032	Ram Bilas singh s/o Lt. Nanhk singh
27	654	Private	Residential	0.0128	(i)Shanichri kuwar w/o Lt. Ram Pravesh singh (ii) Uday kumar singh s/o Lt. Narayan singh
28	655	Private	Residential	0.0088	Uday kumar Singh s/o Lt. Narayan Singh
29	689	Private	Residential	0.0264	(i) Ranjeet kumar Singh , Dhramveer singh, Amerjeet singh s/o Bacchu singh (ii)Pradeep kumar singh, Ajit kumar singh Rakesh kumar Singh s/o Ashok Singh
30	826	Private	Residential	0.089	Bijali vidhuta Board
31	867	Private	Residential	0.012	Uday kumar Singh s/o Lt. Narayan Singh
	Village: Pirtampur				
32	139	Private	Residential	0.0075	(i) Ramjanam kumar s/o Lt. Rajkumar Ram (ii) Sonu kumar s/o Lt. Gaya Ram (iii) Devnandan Ram s/o Lt. Rajkumar Ram
33	736	Government	Residential	0.0408	Gairmajrui Aam

	Village: Sinduriya				
34	252	Private	Residential	0.0032	Mathura Singh s/o Mungeshvar singh
35	267	Private	Residential	0.001	Rmesh Singh s/o Pratap Singh
36	280	Private	Residential	0.0056	Bhola Prasad Gupta s/o Lt. Ramjatan Saw
37	282	Private	Agriculture	0.001	Bayas singh s/o Lt. Prithiviraj singh
			TOTAL	0.7352	

[F. No. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D1]

RAJESH GUPTA, Director